



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014-2015

22/01045-I-15

श्रीमती शीला^{पत्नी} श्री राजेन्द्र सिंह लोधी आयु 60 वर्ष
व्यवसाय खेती निवासी वार्ड-1, पटेरा रोड, नगर
के पास, ग्राम हिन्दोरिया, तहसील व जिला दमोह

— आवेदिका

विरुद्ध

- 1- भगवत प्रसाद पिता उमा प्रसाद निवासी
भटिया तहसील पटेरा, जिला दमोह
- 2- आशाराम पुत्र गया प्रसाद साहू निवासी
भटिया तहसील पटेरा जिला दमोह
- 3- गोविन्द सिंह पुत्र शंकर सिंह लोधी निवासी
जिला दमोह
- 4- गया प्रसाद पुत्र रघुनन्दन प्रसाद ब्राम्हण
निवासी जिला दमोह
- 5- सरपंच ग्राम पंचायत भटिया द्वारा उदय
सिंह लोधी जिला दमोह

— अनावेदक

आवेदन पत्र 35 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता प्रकरण क्रमांक
304/111/2014 पुनरीक्षण याचिका खारिज दिनांकी 15-4-2015 को
पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत्।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि, आवेदक द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 304/111/2014 आदेश
दिनांकी 29-8-2007 पारित द्वारा श्री आर०सी० मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी,
हटा जिला दमोह प्रकरण 47/अ/25 वर्ष 2006-07 वउनवान भगवत प्रसाद
विरुद्ध शीला के विरुद्ध प्रस्तुत की थी।

यहकि, उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 15-4-2015 अनावेदकगण के प्रारंभिक
आपत्तियों के आवेदन पत्र के जबाब हेतु नियत थी।



M


Date: R. 1045/15 (2015)
 कार्यवाही तथा आदेश


पक्षकारों एवं को
 आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक

2-9-15


आवेदक श्री. श्री लोचन (उप०)
 आवेदक श्री. श्री 5-1-1 वासुदेव (उप०)
 उभयपक्षों के पक्षों की पुनर्स्थापित किए
 जाने के आवेदन पर उपायवाही/पुकार आदेशार्थ।


 6/9/15


806

319/15

आवेदक श्री. श्री लोचन के नंबर 15
 वि-112 क्रमांक R- 304-III/14-
 में आदेशावधि 15/9/15 की पुनर्स्थापना
 पर न्याया जाता है। अतः न्यायावधि समाप्त
 किया जाता है।


 6/9/15

